

## अनुबन्ध पत्र

मैं.....अध्यक्ष/प्रशासक/किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ग्राम.....राज्य सरकार की 02.07.2018 से प्रारम्भ होने वाली महत्वाकांक्षी "अन्नपूर्णा दुग्ध योजना" के तहत विद्यालय प्रबन्ध समिति राउमावि/उप्रावि/प्रावि.....से निम्नलिखित शर्तों पर विद्यालय में दुध आपूर्ति करने हेतु अनुबंध करता हूँ:-

1. मैं विद्यालय द्वारा निर्धारित सप्ताह के तीन दिवसों में प्रार्थना सभा प्रारम्भ होने से पूर्व दूध की उपलब्धता तय करूंगा।
2. मैं विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार ताजा, शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त दुध उपलब्ध कराऊंगा।
3. मैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर दर पर दुध उपलब्ध कराऊंगा।
4. विद्यालय प्रबन्धन समिति को दुध की गुणवत्ता जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि जांच के दौरान दुध की गुणवत्ता निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं पायी जाती है अथवा दुध मिलावट युक्त पाया जाता है तो विद्यालय प्रबन्धन समिति को मेरा अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि किसी दिन दुध खराब हो जाता है यथा फट जाता है, दुर्गन्ध देता है, या पीने योग्य नहीं पाया जाता है तो उस दिन दूध के भुगतान की मांग नहीं करूंगा।
6. मैं यह अनुबंध विद्यालय प्रशासन/प्रबन्धन समिति .....से एक वर्ष के लिए नियमित दुध आपूर्ति हेतु करता हूँ परन्तु सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाये जाने पर विद्यालय प्रबन्ध समिति को मध्य सत्र मेरा अनुबंध निरस्त करने एवं आगे बढाने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक:-

अध्यक्ष/सचिव

अनुबंधकर्ता

साक्षी:-

1.

2.

.....

.....